

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT**

NO. F.6 (179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3 K

Jaipur, Dated: 01-10-2005

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Rajasthan Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendments in this department notification No.F.6(179)/Pari/Hqs/95/3H, dated 1.3.2002; namely:-

Amendments

In the 'TABLE' appended to the said notification, the existing S. No. 1 and entries there to, including all provisos thereof shall be substituted by the following; namely:-

1. Passenger Vehicles

- | | | |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|
| (a) | Cost of vehicle upto Rs. 4,00,000 | 4.50% of the cost of the vehicle |
| (b) | Cost of vehicle above Rs. 4,00,000 | 7.0% of the cost of the vehicle |
| (c) | Cost of chassis upto Rs. 4,00,000 | 5.0% of the cost of the chassis |
| (d) | Cost of chassis above Rs. 4,00,000 | 10.0% of the cost of the chassis |

Provided that passenger vehicle shall pay tax at 1/10th (one tenth) of the rate specified in Col. No. 3 above, subject to the maximum of Rs. 12,000 per annum if:-

- (i) covered by a non-temporary permit or obtains a new non-temporary permit after cancellation of old non-temporary permit within 30 days, under the Motor Vehicle Act, 1988;
- (ii) covered by a temporary permit issued under section 87 of the Motor Vehicles Act 1988;
- (iii) motor vehicle is registered as motor cab including three wheeled auto rickshaw, maxi cab or private service vehicle;
- (iv) registered for the first time in the State of Rajasthan or in case of passenger vehicle of other states when transfer of ownership or change of address has taken place in this state and the vehicle is

covered by a non-temporary permit within 60 days from the date of registration or transfer of ownership or change of address in Registration certificate as the case may be.

Provided further that vehicles manufactured with original equipment facilitating its operation by compressed natural gas (CNG) or liquified petroleum gas (LPG) shall pay tax at 1/16th (one sixteenth) of the rate specified in Column No. 3 above."

By Order of the Governor

(Hanuvant Singh Bhati)
Deputy Secretary to Government

NO. F6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3 K

Jaipur, Dated: 01-10-2005

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated 01-10-2005 and a copy thereof may be sent to this department.
2. Private Secretary to the Principal Secretary, Chief Minister- Rajasthan, Jaipur.
3. Private Secretary to the Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. Private Secretary to the Principal Secretary (Home&Transport), Rajasthan Jaipur.
5. Private Secretary to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
6. Private Secretary to Transport Commissioner, Rajasthan, Jaipur.
7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
8. Managing Director, RSRTC, Jaipur.
9. Law (Codification), Department, Jaipur.
10. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
11. Shri Sanjay Singhal for updating departmental website.
12. All Regional/District Transport Officers.
13. All Incharge Tax Collection Centers of Transport Department.

Deputy Secretary to Government

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :- एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/3 के

जयपुर, दिनांक:- 01.10.2005

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/एच.क्यू./95/3 एच, दिनांक 1.3.2002 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना से संलग्न "सारणी" में, विद्यमान क्रम सं. 1 ओर उसके सभी परन्तुकों को सम्मिलित करते हुए उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"1. यात्री यान

(क)	4,00,000/- रु. तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 4.50%
(ख)	4,00,000/- रु. से अधिक की लागत वाले यान	यान की लागत का 7.0%
(ग)	4,00,000/- रु. तक की लागत वाली चैसिस	चैसिस की लागत का 5.0%
(घ)	4,00,000/- रु. से अधिक की लागत वाली चैसिस	चैसिस की लागत का 10.0%

परन्तु यात्री यान अधिकतम 12,000 रु. प्रतिवर्ष के अध्यक्षीन रहते हुए उपर्युक्त स्तंभ सं. 3 में विनिर्दिष्ट दर के 1/10 के हिसाब से कर संदत्त करेंगे यदि :-

- (i) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी गैर-अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आते हैं या पुराने गैर-अस्थायी परमिट के रद्दकरण के पश्चात् 30 दिन के भीतर-भीतर नया गैर-अस्थायी परमिट प्राप्त कर लेते हैं :
- (ii) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन जारी किसी अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आते हैं :

- (iii) मोटर यान तिपहिया ऑटो-रिक्शा, मैक्सी कैब या निजी सेवा यान को सम्मिलित करते हुए मोटर कैब के रूप में रजिस्ट्रीकृत है :
- (iv) राजस्थान राज्य में पहली बार रजिस्ट्रीकृत किया गया है या अन्य राज्यों के यात्री यान की दशा में, अब स्वामित्व का अन्तरण या पते में परिवर्तन इस राज्य में किया गया है और यान रजिस्ट्रीकरण की तारीख या स्वामित्व के अन्तरण, या यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में पते के परिवर्तन की तारीख से 60 दिन के भीतर किसी गैर-अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आता है।

परन्तु यह कि कम्प्रेसड नेचुरल गैस (सी.एन.जी.) या लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) द्वारा उनके प्रचालन को सुकर बनाने के मूल उपकरण के साथ विनिर्मित यान, उक्त स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट दर का 1/16 कर संदत्त करेगा।”

राज्यपाल के आदेश से,

(हनुवन्त सिंह भाटी)
शासन उप सचिव

क्रमांक :- एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/3 के जयपुर, दिनांक:- 01.10.2005

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 01.10.2005 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान।

शासन उप सचिव